न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप

पीठासीन अधिकारी– मांगीलाल, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या:– 07 / 2022

1. रामनारायण पुत्र बगडूराम जाति विश्नोई निवासी सुथारानाडा, केलनसर तहसील बाप जिला जोधपुर।
2. सुगनी पत्नि बगडूराम जाति विश्नोई निवासी सुथारानाडा, केलनसर तहसील बाप जिला जोधपुर।
3. उम्मेदाराम पुत्र बगडूराम जाति विश्नोई निवासी सुथारानाडा, केलनसर तहसील बाप जिला जोधपुर

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. जबरूराम पुत्र रामलाल जाति विश्नोई निवासी सुथारानाडा, केलनसर तहसील बाप जिला जोधपुर
2. दोलाराम पुत्र रामलाल जाति विश्नोई निवासी सुथारानाडा, केलनसर तहसील बाप जिला जोधपुर
3. पपू पत्नि हरचन्दराम जाति विश्नोई निवासी सुथारानाडा, केलनसर तहसील बाप जिला जोधपुर
4. विजयलाल पुत्र रामलाल जाति विश्नोई निवासी सुथारानाडा, केलनसर तहसील बाप जिला जोधपुर
5. सुन्डी पत्नि रामलाल जाति विश्नोई निवासी सुथारानाडा, केलनसर तहसील बाप जिला जोधपुर
6. तहसीलदार बाप।

–अप्रार्थीगण

उपस्थित:–

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी, अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:निर्णय:–

दिनांक:– 16.09.2022

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आश्य से पेश किया है कि सरहद मौजा सुथारानाडा पटवार क्षेत्र केलनसर तहसील बाप में प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 534/1 रकबा 5.3418 हेक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणिया, पानी के [illegible] आदि बना रखे है और प्रार्थीगण अपने–अपने परिवार सहित बारह मास निवास करते आ रहे है। [illegible] जमाबंदी संवत 2075–2078, नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। [illegible] अधिकारों की भूमि के चिपती दक्षिण दिशा में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की [illegible] की भूमि खसरा नंबर 534 रकबा 5.3257 हेक्टेयर भूमि ग्राम सुथारानाडा पटवार क्षेत्र केलनसर [illegible]सील बाप जिला जोधपुर में आई हुई है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 534/1 की भूमि एव उसमें बनी रहवासी ढाणियों में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 534 रकबा 5.3257 हेक्टेयर भूमि में से रास्ता हेतु उपयोग में ली जा रही है, प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के खेत में आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग किया जाता रहा है लेकिन अब वर्तमान में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में उपयोग लिया जा रहा रास्ता बंद करने पर आमदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:38:55 IST
Reason: SelfAttested

है। वर्तमान में प्रार्थीगण को अपने खेत में जाने हेतु अन्य कोई रास्ते का विकल्प उपलब्ध नही है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के खेत से लगता ही कटाण मार्ग स्थित है जो मौके पर रोहिणा से जैसला तक जाता है जिस कटाण मार्ग तक पहुंच के लिए प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र नये रास्ते की घोषणा हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की रास्ता के रूप में निर्वापित की जाने वाली भूमि के बदले प्रार्थीगण न्यायालय हाजा द्वारा नियत प्रतिकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 को चुकाने का तैयार एवं तत्पर है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया और अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

विचाराधीन प्रकरण प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अन्तर्गत तहसीलदार बाप से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट व मौका फर्द अनुसार –

1. प्रार्थीगण वर्तमान में अस्थाई तौर पर खसरा नंबर 534/1 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नंबर 534 के बीच से उपयोग में ले रहे है जो कि स्वीकृत शुदा नहीं है।
2. खसरा नंबर 534/1 के निकटतम खसरा नंबर 534 के चिपता गैर मुमकिन रास्ता है।
3. यदि खसरा नंबर 534 मं से रास्ता दिया जाता है तो 0.0668 हैक्टेयर भूमि रास्ते में आती है जो सबसे निकटतम व सुविधाजनक होगी।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया गया –

1. रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता।
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव
3. नया मार्ग लघुतम रूट से हो।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी, पत्रावली में संलग्न जमाबंदी, नजरी नक्शा, तहसीलदार बाप की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किय गया रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते के अभाव के मध्यनजर प्रार्थीगण का रास्ता स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सुथारानाडा पटवार क्षेत्र केलनसर के खसरा नंबर 534 में संलग्न नक्शानुसार A से B 0.0668 हैक्टेयर रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अकंन किया जाकर मौके पर रास्ता चालू करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त स्वीकृत रास्ते की एवज में अप्रार्थीगण को डीएलसी की दुगनी दर से प्रतिकर देय होगा जिसकी गणना तहसीलदार बाप द्वारा करवाई जावेगी। प्रार्थीगण द्वांरा उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के उपरांत गै.मु.रास्ते का अकंन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। अप्रार्थीगण द्वारा मांग किये जाने पर उक्त राशि अप्रार्थीगण को लौटाई जावेगी। नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार बाप को पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल द[illegible]

निर्णय आज दिनांक 16.09.2022 को मेरे द्वारा लि[illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:38:55 IST
Reason: SelfAttested

(मांगीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (जोधपुर)